राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 799/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 15-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री ए.के.अस्थाना, अधिशाषी अभियंता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-1-17 के द्वारा आभापुरा लिफ्ट परियोजना व मुख्य मंत्री बजट भाषण दिनांक 08-03-2016 पैरा 36 व अन्य के बाबत प्रेषित पत्र दिनांक 26-12-2016 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने दिनांक 24-01-2017 को एक साथ 5 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें वांछित सूचना काफी वृहद है और विभाग के संसाधनों को विचलन करने वाली है व श्रमशील है। ऐसी सूचनाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदित्य बन्दोपाध्याय बनाम सी.बी.एस.ई. के प्रकरण में अदेय माना है। अपीलार्थी को विनिश्चय पत्र दिनांक 28-02-2018 से प्रेषित किया जा चुका है। जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया है कि वांछित सूचना कार्यालय में संधारित नहीं है। विभाग की वेबसाईड पर उपलब्ध है जिससे अपीलार्थी सूचना प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील पेश की गई थी जो निर्णय दिनांक 22-02-2017 से राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय को सही माना जाकर अपील निस्तारित की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। प्रत्यर्थी का विनिश्चय एवं प्रथम अपील निर्णय विधि अनुसार है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त